सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-2023)

106

सत्रहवीं लोक सभा

एक सौ छह्वां प्रतिवेदन

[शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च , 2023/ चैत्र, 1945(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2022-2023) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(iv)**
प्रतिवेदन	शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब	**01**
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट –एक	समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष-वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण	**10**
परिशिष्ट –दो	समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-16 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण	**11**
परिशिष्ट –तीन	समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-16 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में मंत्रालय द्वारा यथाप्रस्तुत कालक्रमानुसार विवरण	**12**
परिशिष्ट –चार	मंत्रालय/समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित समय सीमा को दर्शाने वाला विवरण जिसमें वार्षिक प्रतिवेदनों लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण के कार्य के संकलन का मानक समय दर्शाया गया है	**16**
परिशिष्ट –पाँच	समिति की दिनांक 22.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	**17**
परिशिष्ट –छह	समिति की 23 **मार्च**, 2023 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	**20**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना

लोक सभा

(2022-23)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. श्री शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री भरत राम मारगनी
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री सेल्लापेरुमल रामलिंगम
13. श्री सस्गिरी शंकर उलाका
14. श्री देवेन्द्रप्पा वाई
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ छहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और समिति के 12 मई, 1976 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा समिति के 22 दिसम्बर, 1977 को प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में की सिफ़ारिशों के संदर्भ में, सभी सांविधिक/स्वायत्त, संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 के दस्तावेज निरंतर विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किए गए थे। समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यक दस्तावेज अभी तक नहीं रखे गए हैं। समिति ने समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और 22 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 23 **मार्च**, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5 समिति, शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) भारत सरकार और समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7 समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली **गिरीश चन्द्र**

23 मार्च,2023 **सभापति**

02 चैत्र,**1945 (शक)** **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

<u>समिति शाखा- दो</u>

(सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति)

<u>प्रतिवेदन</u>

शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समग्र शिक्षा, शिमला के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब।

सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को क्रमशः 2002 और 2009 से 2017-18 तक लागू किया गया था। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी को 19 मार्च, 2010 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। समग्र शिक्षा (एसएस), पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक फैली स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना 1 अप्रैल, 2018 से सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को शामिल करके शुरू की गई थी।
स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर योजना के उद्देश्य हैं: -

i. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना
ii. स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना।

iii. स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना।
iv. स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना।

v. शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना।
vi. बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना।

2. समिति द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा जारी की गई वर्ष-वार धनराशि के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने जानकारी प्रस्तुत की है कि वर्ष 2016-2017 के दौरान 356.98 करोड़ रु, वर्ष 2017-2018 के दौरान 229.24 करोड़ रु, वर्ष 2018-2019 के दौरान 432.95 करोड़ रु, वर्ष 2019-2020 के दौरान 473.16 करोड़ रु, और वर्ष 2020-2021 के दौरान 200.496 करोड़ रु जारी किए गए, जिसे **परिशिष्ट-एक** में दिया गया है।

3. समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए प्रावधान और समय-सीमा बताने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि–

> "लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन आचरण नियमावली के नियमों के नियम 305क से ग के अनुसार, सभा पटल पर रखे गए पत्रों सबंधी समिति से संबंधित, सरकारी संस्थानों या सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों या सरकार द्वारा प्रदान किए गए पर्याप्त अनुदानों द्वारा तैयार और वित्तपोषित समितियों की रिपोर्ट को सदन के सभा पटल पर रखना आवश्यक है।"

4. मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया है कि –

> "पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों के भीतर रखा जाना आवश्यक है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष 2018-19 के लिए, रिपोर्ट दिसंबर, 2019 तक प्रस्तुत की जानी है।"

5. समिति की संवीक्षा से पता चलता है कि वर्ष *2015-16* से लेकर *2021-22* के लिए समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे बार-बार विलम्ब से सभा पटल पर रखे गए हैं। वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियाँ और विलंब की सीमा **परिशिष्ट-दो** में दी गई है। यह देखा जा सकता है कि *2016-2017* के दौरान एसएसए के आवश्यक दस्तावेज दिनांक *16.3.2020* को *26* महीने और *16* दिनों के विलंब के साथ सभा पटल पर रखे गए थे। वर्ष *2017-2018* के दौरान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे दिनांक *19.09.2020* को *20* महीने और *19* दिनों के विलंब के साथ रखे गए थे ।

6. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष *2015-16* से *2020-2021* के लिए समग्र शिक्षा, शिमला और हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न गतिविधियों का कालानुक्रमिक क्रम **परिशिष्ट-तीन** में दिया गया है।

7. वर्ष *2015-16* से *2020-21* के लिए समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारण बताने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि –

"वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक समग्र शिक्षा की लेखापरीक्षा रिपोर्ट वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की निर्धारित अवधि के साथ एमओई को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कोविड -19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट स्कूलों के बंद होने से देर से जमा होने के कारण एमओई को फरवरी 2021 में प्रस्तुत की गई थी।"

8. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय ने वर्ष *2015-16* से *2020-21* के लिए समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की पहचान की है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि -

"जी, हां। हिमाचल प्रदेश में स्कूल दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित होने के कारण स्कूलों से उपयोगिता प्रमाणपत्र के संग्रह में समस्या के कारण राज्य में विलंब हुई है।"

9. समिति ने आगे यह जानना चाहा कि मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से लेखापरीक्षा और इसके बाद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समय से प्राप्ति पर के मुद्दे किस प्रकार कार्यवाही की गई। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि -

"राज्य के साथ नियमित पत्र-व्यवहार किया जाता है। समग्र शिक्षा के तहत केंद्रीय शेयर की दूसरी किस्त राज्य को तभी जारी की जाती है जब राज्य इस विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसे सही पाया जाता है।"

10. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या लेखापरीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही लेखापरीक्षा करते समय प्रश्नों को कम करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि -

"राज्य में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र नहीं है, लेकिन राज्य समग्र शिक्षा के लिए वित्तीय प्रबंधन और खरीद पर मैनुअल के प्रावधान के अनुसार हर साल समवर्ती आधार पर समग्र शिक्षा के लेखाओं की आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए सीए फर्म की नियुक्ति करता है।"

11. समिति ने लेखापरीक्षित लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के बारें में जानना चाहा ताकि लेखापरीक्षित लेखाओं के शीघ्र और समय पर संकलन को सुगम बनाया जा सके। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि –

"जी, हां, संगठन के लेखाओं का रखरखाव मैन्युअल रूप से किया जाता है और इसे कम्प्यूटरीकृत किया जाता है।"

12. मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या मंत्रालय/समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण के कार्य के संकलन के लिए मानक समय को दर्शाते हुए कोई समय सारिणी निर्धारित की गई थी। मंत्रालय का उत्तर **परिशिष्ट – चार** में दिया गया है।

13. यह पूछे जाने पर कि क्या कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय में कोई तंत्र है, मंत्रालय ने कहा है कि:-

मंत्रालय परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों और राज्य शिक्षा सचिवों के साथ अन्य बैठकों में लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में विलंब का मुद्दा उठाता है। लेखापरीक्षित रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों को शीघ्र पूरा करने के लिए टेलीफोन पर भी राज्य सरकारों से संपर्क किया जा रहा है।

मंत्रालय का प्रयास है कि वित्तीय वर्ष के 6 माह के भीतर लेखापरीक्षा कार्य पूरा किया जाए ताकि वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, हिंदी संस्करण सहित, समय पर उपलब्ध हो सकें।

"कार्यक्रम प्रबंधन में कार्यान्वयन एजेंसियों का मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों को एक साथ एक स्थान पर वित्तीय प्रबंधन और खरीद मैनुअल (एफएमपी मैनुअल) में दिया गया है।

एफएमपी मैनुअल का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं, लेखांकन और लेखा परीक्षा आवश्यकताओं और पूरे देश में पालन की जाने वाली खरीद प्रक्रियाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाना अभीष्ट है। मैनुअल में निर्धारित प्रावधान अनिवार्य हैं और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धनराशि का वितरण, उपयोग और लेखा एक कुशल और प्रभावी तरीके से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इनका पालन किया जाएगा।

तदनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 18.03.2021 और 14.08.2019 अ.शा.पत्रों के माध्यम से समग्र शिक्षा के एफएमपी मैनुअल में निर्धारित समय सीमा के अनुसार लेखाओं और लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने का स्मरण कराया गया था।"

14. भविष्य में लेखांकन वर्ष की समाप्ति से नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश दोनों द्वारा किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी उपचारात्मक उपाय के बारे में, पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

> "योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग और समीक्षा के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 अप्रैल तक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।"

15. समिति ने इस मुद्दे पर वर्ष 2015-16 से 2020-2021 तक समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं का सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और शिक्षा मंत्रालय और समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि का दिनांक 22.03.2022 को मौखिक साक्ष्य लिया। **(परिशिष्ट-पांच)**

16. जब समिति ने मंत्रालय से विशेष रूप से यह जानना चाहा कि वह वर्ष 2015-2016 से आवश्यक दस्तावेजों को समय से सभा पटल पररखने में विफल क्यों रहा है, तो मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष बताया कि –

> *"महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दो प्रमुख कारण बताए गए हैं पहला उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब..... हिमाचल प्रदेश राज्य ने बताया है कि स्कूलों के बंद होने की वजह से वे स्कूलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाए। महामारी ने कई राज्यों को अलग-अलग तरीकों से प्रभावित किया है। उनके द्वारा बताए गए कारणों में से एक यह भी था।*
>
> *दूसरा, उन्होंने भौगोलिक और स्थलाकृतिक कठिनाइयों के साथ-साथ विशेष रूप से इंटरनेट की सुविधा न होना भी बताया। इसलिए, वे समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कर पाए। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये दो मुख्य उत्तर दिए हैं।"*

17. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के स्तर पर हुए विलम्ब के कारणों को बताते हुए, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि:-

> *"वित्तीय प्रबंधन और प्रापण नियमावली उल्लेख करते हैं कि लेखापरीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया जनवरी माह में शुरू होती है और इसे मार्च माह तक समाप्त कर लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा अप्रैल माह से शुरू की जानी चाहिए..... लेकिन इसे कार्यकारी समिति की पूर्वानुमति से किया जाए कार्यकारी समिति का नेतृत्व सामान्यतः सचिव/प्रधान सचिव या ईसीएस (शिक्षा) करते हैं, लेकिन सचिव (वित्त), सचिव (योजना) भी इसके*

सदस्य होते हैं। ज्यादातर राज्यों में बजट प्रक्रिया जनवरी माह में शुरू होती है। सचिव (वित्त) सामान्यत: बैठक के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं इसलिए, लगभग इन सभी वर्षों अर्थात 2019-20 तक, हमें अप्रैल माह में ही ईसीएस या सचिव (वित्त) से समय मिल पाया। इसलिए, हमें लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु अप्रैल माह में ही अनुमोदन मिल पाया और हम मई माह से लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कर पाए और तत्पश्चात, जून माह से लेखापरीक्षा शुरू की जा सकी। मुख्य रूप से इसी वजह से लेखापरीक्षा में विलम्ब हुआ और फिर इसे भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। तथापि, मामले की गंभीरता को समझते हुए, हमने अब प्रक्रिया में बदलाव कर लिया है चूंकि सचिव (शिक्षा) कार्यकारी समिति के चेयरप्रसन हैं और हम सचिव के अनुमोदन से ही लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं और फिर हम अनुसमर्थन या कार्योत्तर अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति में अनुमोदन लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप, हम पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 के अप्रैल माह में ही लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कर सके, जैसा कि मैनुअल के तहत आवश्यक है। हमने इस वर्ष भी प्रक्रिया शुरू की है और अप्रैल माह के मध्य तक हमारे पास लेखापरीक्षक होंगे और तत्पश्चात, प्रक्रिया शुरू की जाएगी मैं समिति और चेयरप्रसन को आश्वासन देता हूँ कि इस वर्ष भी हम लेखापरीक्षित लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदनों को निर्धारित समय से पूर्व प्रस्तुत करेंगे।''

टिप्पणियां/सिफारिशें

18. समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) जो कि समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखने के लिए जिम्मेदार है और उससे इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में चूक हुई है चूँकि मंत्रालय के अपने उत्तर के अनुसार समग्र शिक्षा से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भी वर्ष 2016-17, 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में क्रमशः 2 वर्ष, 13 माह और 14 माह से अधिक का समय लिया। समिति नोट करती है कि समग्र शिक्षा के उपर्युक्त वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखांकन वर्ष के 30 नवंबर तक मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना था मंत्रालय को वास्तव में क्रमशः 20.02.2018, 18.02.2019, 23.12.2019 और 1.12.2020 को प्राप्त हुआ था। समिति का सुविचारित मत यह है कि यद्यपि समग्र शिक्षा ने अपने आवश्यक दस्तावेजों को मामूली विलंब के साथ प्रस्तुत किया था जबकि मंत्रालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में अधिक समय लिया गया है जिसे किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है इसलिए, समिति आवश्यक दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखने हेतु समिति की सिफारिशों के साथ-साथ सामान्य वित्तीय नियमों पर अत्यधिक ध्यान देने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय समिति को इस संबंध में लिए गए अयुक्तिसंगत समय से संबंधित विशिष्ट कारणों से अवगत कराए।

19. इसके आलावा, समिति यह पाती है कि समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश ने इस प्रयोजनार्थ समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन माह के विपरीत वर्ष 2015-16 से 2018-2019 के दौरान 5 माह या इससे अधिक और वर्ष 2019-2020 के दौरान 08 माह का समय लिया इस संबंध में हुए विलम्ब के बारे में यह बताया गया कि समग्र शिक्षा को हिमाचल प्रदेश के दूर-

दराज के क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयां हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई प्रगति से सूचित करने तथा उसकी समीक्षा करने हेतु एक ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू किया गया है जो सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार समग्र शिक्षा को समय सीमा के भीतर अपने वार्षिक लेखाओं प्रस्तुत करने में सहायता करेगा इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन मॉड्यूल का समग्र शिक्षा द्वारा अनुपालन किया जाए ताकि इस चरण में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके।

20. मंत्रालय ने बताया कि समग्र शिक्षा ने संबंधित लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह की विहित अवधि के भीतर वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अपने आवश्यक दस्तावेजों को मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया हैं। तथापि, समिति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तरों से यह पाती है कि समग्र शिक्षा ने वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के प्राप्त आवश्यक दस्तावेजों को मंत्रालय को क्रमशः 6.1.2017, 20.2.2018, 18.2.2019 और 23.12.2019 को प्रस्तुत किया जिन्हें वास्तव में संबंधित लेखांकन वर्ष के 30 नवंबर तक मंत्रालय को प्रस्तुत करना था। इसलिए, समिति मंत्रालय से यह सिफारिश करती है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समग्र शिक्षा के आवश्यक दस्तावेजों को मंत्रालय द्वारा 30 नवंबर तक प्राप्त किया जाए ताकि भविष्य में समग्र शिक्षा के आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर रखा जा सकें।

21. समिति यह भी सिफारिश करती है कि शिक्षा मंत्रालय एक 'पोर्टल' तैयार तथा स्थापित करे जहाँ स्वचालित अलर्ट प्रणाली को स्थापित कर अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में हुई प्रगति पर अद्यतन जानकारी को सुनिश्चित किया जा सके जो संस्थानों को दी गई समयावधि के अनुसार प्रत्येक चरण में

अपना कार्य पूरा करने हेतु अंतिम समय-सीमा को एक सप्ताह पूर्व इंगित करेगा। समिति को इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

22. समिति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तरों से नोट करती है कि समग्र शिक्षा (एसएस), परि-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा हेतु केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना है जिसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा का विलय कर 1 अप्रैल, 2018 को शुरू किया गया था। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तरों से यह प्रतीत होता है सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को वित्त वर्ष 2017-2018 तक सदन के सभा पटल पर रखा गया जहाँ तक शिक्षक शिक्षा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने का संबंध है मंत्रालय द्वारा इस बारे में कोई उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसलिए, समिति शिक्षक शिक्षा की उत्पत्ति और कार्यकलापों सम्बन्धी पृष्ठभूमि, भारत सरकार द्वारा संगठन को उपलब्ध कराई गई निधि और क्या संगठन के आवश्यक दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है के बारे में जानना चाहती है।

23. समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताते हुए एक विवरण, 30 दिनों के भीतर या सभा समवेत होने पर, जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाए।

नई दिल्ली
23 मार्च , 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

<u>परिशिष्ट-एक</u>

(देखें प्रतिवेदन का पैरा संख्या 2)

समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2016-2017 से 2020-2021 के लिए वर्ष-वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	जारी धनराशि (रुपए लाख में)
2016-17	35697.85
2017-18	22923.83
2018-19	43295.45
2019-20	47315.93
2020-21	50049.60

<u>परिशिष्ट – दो</u>

(देखें प्रतिवेदन का पैरा 05)

समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-16 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की अवधि (माह में)
2015-16	31.12.2016	31.07.2017(एसएसए)* 11.08.2017(आरएमएसए)**	07 माह 07 माह और 11 दिन
2016-17	31.12.2017	16.03.2020(एसएसए)* 16.07.2019 (आरएमएसए)**	26 माह और 16 दिन 18 माह और 16 दिन
2017-18	31.12.2018	23.03.2020 (एसएसए)* 19.09.2020(आरएमएसए)**	14 माह और 23 दिन 20 माह और 19 दिन
2018-19	31.12.2019	08.02.2021	13 माह और 08 दिन
2019-20	31.12.2020	21.03.2022	14 माह और 21 दिन
2020-21	31.12.2021	18.07.2022	06 माह और 18 दिन
2021-22	31.12.2022	अब तक सभा पटल नहीं रखा गया है।	06 माह और 18 दिन

* एसएसए – सर्व शिक्षा अभियान

** राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान

<u>परिशिष्ट-तीन</u>

(देखें प्रतिवेदन का पैरा 06)

समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2015-16 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में मंत्रालय द्वारा यथाप्रस्तुत कालक्रमानुसार विवरण।

उप –प्रश्न	बिंदु	वित्त वर्ष					
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
7 (i)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क की तारीख	18.04.2016	11.05.2017	15.06.2018	25.07.2019	23.05.2020	06.04.2021
	लेखांकन वर्ष के समापन के बाद लगा समय	22 दिन	1 माह 11 दिन	2 माह 15 दिन	3 माह 2 दिन	1 माह 23 दिन	6 दिन
7(ii)	सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की तिथि	19.05.2016	26.05.2017	02.07.2018	06.08.2019	20.07.2020	22.04.2021
	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करने के बाद लगा समय	29 दिन	15 दिन	17 दिन	11 दिन	1 माह 25 दिन	15 दिन
7(iii)	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि	31.08. 2016	08.09.2017	08.10.2018	27.09.2019	15.12.2020	31.07.2021
	लेखांकन वर्ष के समापन के बाद लगा समय	5 माह	5 माह 9 दिन	6 माह 8 दिन	5 माह 27 दिन	8 माह 15 दिन	4 माह
7(iv)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	31.08.2016	08.09.2017	08.10.2018	27.09.2019	15.12.2020	16.08.2021
	संबंधित लेखांकन वर्ष के समापन के बाद लगा समय	5 माह	5 माह 9 दिन	6 माह 8 दिन	5 माह 27 दिन	8 माह 15 दिन	4 माह 15 दिन
7(v)	सांविधिक	15.10.2016	16.10.2017	15.11.2018	31.10.2019	15.01.2021	15.11.2021

	लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की तिथि और अवधि	2 महीने	1 माह 9 दिन	1 माह 7 दिन	1 माह 3 दिन	1 माह	
7(vi)	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं के पूरा होने के बाद उठाए गए प्रश्नों की तिथि	20.10.2016	23.10.2017	20.11.2018	05.11.2019	20.01.2021	22.11.2021
	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं को पूरा करने के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से प्रश्न पूछने मैं लिया गया समय	5 दिन	7 दिन	5 दिन	5 दिन	5 दिन	7 दिन
7(vii)	वह तारीख जब लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए गए थे	16.11.2016	10.11. 2017	31.12.2018	20.11.2019	30.01.2021	15.12.2021
	प्रश्नों का समाधान करने में लगने वाला समय	26 दिन	20 दिन	1 महीना 10 दिन	15 दिन	11 दिन	10 दिन
7(viii)	वह तारीख जिस पर लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की गई थी	30.11.2016	30.11.2017	21.01.2019	10.12.2019	05.02.2021	31.12.2021
	वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	1 महीना 11 दिन	1 महीना 11 दिन	2 महीना 11 दिन	1 महीना 5 दिन	15 दिन	1 महीना
7(ix)	जिस तारीख को संगठन द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई	07.12.2016	12.12.2017	04.02.2019	21.12.2019	11.02.2021	02.01.2022
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी होने के बाद लिया गया समय	7 दिन	12 दिन	14 दिन	11 दिन	6 दिन	2 दिन

7(x)	संगठन को अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा लिया गया कुल समय	3 महीने 6 दिन	3 महीने 3 दिन	3महीना 27 दिन	2 महीना 24 दिन	1महीना 26 दिन	1 महीना
7(xi)	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तिथि	30.11.2016	30.11.2017	21.01.2019	1.10.2019	26.11.2020	अंतिम रूप दिया जा रहा है
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय; और	8 महीने	8 महीने	9 महीने, 21 दिन	7 महीने	8 महीने	अंतिम रूप दिया जा रहा है
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	उसी समय	उसी समय	उसी समय	लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट	लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट	अंतिम रूप दिया जा रहा है
7(xii)	जिस तारीख को दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित किया गया था	25/10/16	26/10/17	10/1/19	1/10/19	22/8/2020	02.01.2022
	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	1 सप्ताह	1 सप्ताह	1 सप्ताह	1 सप्ताह	1 सप्ताह	अंतिम रूप दिया जा रहा है
	अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले	लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले	लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले	लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले	लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पहले	अंतिम रूप दिया जा रहा है
7(xiii)	जिस तारीख को दस्तावेजों को अनुवाद और मुद्रण के लिए लिया गया	24.12.2016	01.12.2017	15.01.2019	12.12.2019	02.01.2021	सहसंबद्ध

	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय।	30 दिन	20 दिन	30 दिन	30 दिन	20 दिन	सहसंबद्ध
7 (xiv)	प्रत्येक स्तर पर कार्य पूरा होने के बाद सभा पटल पर रखे जाने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने की तारीख	06.01.2017	20.02.2018	18.02.2019	23.12.2019	01.12.2020	अंतिम रूप दिया जा रहा है
	मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में संगठनों द्वारा लिया गया समय	वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने 6 दिन	10 महीने	9 महीने 18 दिन	8 महीने 23 दिन	8 महीने	अंतिम रूप दिया जा रहा है
7 (xv)	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि	**31-07-2017 (एसएसए) 11-08-2017 (आरएमएसए)**	**16-03-2020 (एसएसए) 16-07-2019 (आरएमएसए)**	**23-03-2020**	**08-02-2021**	सभा पटल पर नहीं रखा गया *	सभा पटल पर नहीं रखा गया **
	संगठन से दस्तावेज प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	**6** महीने **(एसएसए)** **7** महीने और **5** दिन **(आरएमएसए)**	**2** वर्ष **14** दिन (एसएसए), **1** वर्ष **4** महीने **24** दिन (आरएमएसए)	**1** वर्ष और **1** महीना	**1** वर्ष और **2** महीने	लागू नहीं	सहसंबद्ध

* 21.03.2022
**18.07.2022

<u>परिशिष्ट – चार</u>

(देखें प्रतिवेदन का पैरा संख्या 12)

मंत्रालय/समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा निर्धारित समय सीमा को दर्शाने वाला विवरण जिसमें वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने में शामिल प्रत्येक चरण के कार्य के संकलन का मानक समय दर्शाया गया है

1.	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए ईसी से अनुमोदन की तिथि	प्रत्येक वर्ष के जनवरी और मार्च के बीच
2.	सीए फर्म को नियुक्त करने की तिथि	प्रत्येक वर्ष अप्रैल के आरंभ में
3.	पिछले वर्ष के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देना	प्रत्येक वर्ष 30 जून तक
4.	लेखापरीक्षा कार्य में प्रगति	प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई तक
5.	एसपीओ को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक
6.	लेखापरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन	प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक
7.	भारत सरकार को भेजे जाने की तिथि	प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर तक
8.	वार्षिक प्रतिवेदन	30 नवंबर तक

<u>परिशिष्ट-पांच</u>

(देखें प्रतिवेदन का पैरा सं. 15)

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की दिनांक 22 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक मंगलवार, 22 मार्च, 2022 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कक्ष "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - **सभापति**

सदस्य

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लब लोचन दास
4. चौधरी महबूब अली कैसर
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुन्दर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

साक्षी

शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

1. श्रीमती अनीता करवाल - सचिव
2. श्री विपिन कुमार - संयुक्त सचिव

समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला

डॉ. वीरेंद्र शर्मा – राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची के बारे में बताया।

3. और 4. XX XX XX XX

5. तत्पश्चात, समिति ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समग्र शिक्षा(एसएस), हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले को विचारार्थ लिया।

तत्पश्चात, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और समग्र शिक्षा(एसएस),हिमाचल प्रदेश,शिमला के साक्षियों को बुलाया गया।

6. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रतिनिधियों से इस विषय अर्थात्, समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-2016 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर रखने में विलंब के संबंध में मौखिक साक्ष्य देने का अनुरोध किया गया।

7. सभापति ने समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में भी बताया।

8. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रतिनिधि ने अपनी ओर से हुए विलंब को स्वीकार किया और यह बताया कि हिमाचल प्रदेश में 15,300 स्कूल हैं। इनमें से 369 स्कूल जनजातीय क्षेत्रों में हैं। हिमाचल प्रदेश के तीन सब डिविजन, अर्थात् - केलोंग, उदयपुर और पांगी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए, स्कूलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत कठिन है। समिति को यह भी बताया गया कि वार्षिक लेखाओं को लेखा परीक्षकों के पास भेजने से पहले उन्हें कार्यकारी समिति से अनुमोदन कराना भी विलंब के कारणों में से एक है। इस समस्या को हल करने के लिए वे कार्यकारी समिति के

सभापति से अनुमोदन लिया जाता है और मई के महीने में वार्षिक लेखाओं को लेखापरीक्षकों के पास भेज दिया जाता है जिससे कि जून के महीने में उनकी लेखापरीक्षा की जा सके। यह बताया गया कि जब भी कार्यकारी समिति की बैठक होती है तो उसमें कार्यकारी समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

9. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने समिति को यह भी अवगत कराया कि समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2019-2020 के आवश्यक दस्तावेज 21 मार्च, 2022 को सभापटल पर रखे गए थे और वर्ष 2020-2021 के दस्तावेज चालू सत्र के दौरान रखे जाएंगे।

10. तत्पश्चात् सभापति ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग / समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रतिनिधियों को एक सॉफ्टवेयर या डैशबोर्ड तैयार करने का सुझाव दिया, जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में अद्यतन स्थिति उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा सके और विलम्ब के मामले में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संगठनों को स्वतः अनुस्मारक भेजे जा सके। सभापति ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रतिनिधियों को डैशबोर्ड/सॉफ्टवेयर तैयार करने के संबंध में समय-सीमा और कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

11. माननीय सभापति ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा समग्र शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला के प्रतिनिधियों का विषय की जांच के संबंध में उनके स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद किया।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

परिशिष्ट- VI

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1. शिक्षा मंत्रालय के (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समग्र शिक्षा, शिमला, हिमाचल प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब;

2 – 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx xx xx xx
Xx xx xx xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

———